GST Hindi update on Personal Hearing of Customs Matter

CBIC बोर्ड ने कोविड-19 के संबंध में कई तरह के प्रोसीजर्स की समीक्षा की है। ताकि जिससे Social Distancing रहे और कम से कम physical presence में ज्यादा से ज्यादा काम किया जा सके। यह सब मॉडर्न इनफॉरमेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम द्वारा ही संभव है।

इसके लिए बोर्ड ने दिनांक 27 अप्रैल, 2020 को एक Instruction जारी की है। इस Instruction के अंतर्गत Customs के संबंध में जो भी Personal hearing होती है जिससे कि Commissioner (Appeals), Adjudicating Authority और Compounding Authority आदि अधिकारी लेते हैं उसे ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जाए।

बोर्ड ने इसके लिए एक Guideline भी जारी की है ताकि Customs में जो Ongoing अपील चल रही है उनकी सुनवाई समय पर हो सके और जल्द से जल्द न्याय मिल सके। इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा Personal Hearing के लिए जो गाइडलाइन दी गई है वह इस प्रकार है:-

इसके अंतर्गत Applicant/ Respondent को अपील फाइल करते समय Appellate Authority या Adjudicating Authority को यह बताना होगा कि वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह Personal hearing करना चाहता है। यदि अपील पहले से फाइल की हुई है तो इस Instruction के लागू होने के तुरंत बाद भी वह ई-मेल द्वारा यह बता सकता है कि वह ऑनलाइन सुनवाई करना चाहता है। इसके लिए Applicant/ Respondent को अपना E-mail Address crosspondence के लिए देना होगा।

इसके पश्चात सुनवाई की तारीख और समय तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के Link को Applicant/ Respondent या फिर उनके कंसलटेंट/वकील को रेवेन्यू विभाग के official ईमेल id द्वारा भेजा जाएगा। इस लिंक को बिना Appellate Authority या Adjudicating Authority की permission के किसी और के साथ साझा नहीं किया जा सकता ।

जो भी conultant /वकील या Authorised Represtative पार्टी के behalf पर सुनवाई में शामिल होगा उसे अपना वकालतनामा या फिर authorisation letter अपनी फोटो आईडी प्रूफ के साथ और अपनी Contact Details के साथ Appellate Authority या Adjudicating Authority को स्कैन करके उनके ऑफिशल ईमेल आईडी पर मेल करना होगा। जो भी व्यक्ति इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल होंगे, उन्हें उचित प्रकार के कपड़े पहनने होंगे तथा उन्हें शिष्टाचार बनाए रखना होगा। उचित प्रकार के कपड़े पहनने का provision शायद राजस्थान उच्च न्यायालय के उस आदेश को देखकर ही किया गया है जिसमें वकील सिर्फ बनियान पहन के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उपस्थित हो गया था। माननीय उच्च न्यायालय ने personal hearing को adjourn कर दिया था। तथा साथ में यह भी कहा था की वकील को न्यायालय द्वारा वकीलों के लिए prescribed ड्रेस में ही उपस्थित होना होगा।

यह सुनवाई, जो की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा होनी है, वह Appellate Authority या Adjudicating Authority के ऑफिस में होगी या फिर ऐसी जगह होगी जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए उनके ऑफिस में सेटअप लगाया गया होगा।

इस सुनवाई के लिए Applicant/ Respondent को जो लिंक दिया गया है उसकी एप्लीकेशन को उसे पहले से ही अपने मोबाइल कंप्यूटर या लैपटॉप पर डाउनलोड करना होगा और जो समय उसे सुनवाई के लिए दिया गया

है उस समय पर उसे उसका कंप्यूटर मोबाइल या लैपटॉप ऑनलाइन रखना होगा और सुनवाई के लिए तैयार रहना होगा।

जो भी पार्टी इस सुनवाई को अपने कंसलटेंट या एडवोकेट के साथ करना चाहती है उसे Appellate Authority या Adjudicating Authority को पहले से ही सूचित करना होगा। जैसा कि पैरा नंबर दो में दर्शाया गया है की इसमें पार्टी अपने कंसलटेंट या एडवोकेट के साथ सुनवाई कर सकती है।

इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो भी Submission को Applicant/ Respondent या उनके कंसलटेंट द्वारा दिया गया है उसे संक्षिप्त में लिखकर एक स्टेटमेंट बनाया जाएगा और इसे Record of Personal Hearing के नाम से जाना जाएगा और इसकी एक कॉपी PDF Form में Applicant/ Respondent को 1 दिन के भीतर उनके मेल आईडी पर दे दी जाएगी।

Appellate Authority या Adjudicating Authority द्वारा जो Record of Personal Hearing को Applicant/ Respondent को मेल द्वारा भेजा गया है यदि वह उसमें कोई परिवर्तन करना चाहता है तो वह उसे कर सकता है तथा परिवर्तन के बाद की कॉपी साइन करके Scan copy करके पुनः ईमेल द्वारा Appellate Authority या Adjudicating Authority को भेज सकता है।

यदि Applicant/ Respondent. जो ईमेल द्वारा प्राप्त Record of personal hearing ठीक नहीं लगा और उसमें यदि कोई परिवर्तन करना चाहता है, तो उसके लिए उसे 3 दिन का समय दिया गया है। यदि वह 3 दिन में उस स्टेटमेंट में परिवर्तन करके उसे फिर से मेल नहीं करता है तो Appellate Authority या Adjudicating Authority द्वारा यह मान लिया जाएगा कि Applicant/ Respondent उस स्टेटमेंट से पूर्ण रूप से सहमत है। 3 दिनों के पश्चात उस स्टेटमेंट को modified नहीं किया जा सकता।

इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई में जो record of personal hearing पेश किया जाएगा उसे कस्टम्स एक्ट 1962 की धारा 138 C के अंतर्गत एक दस्तावेज माना जाएगा।

यदि पार्टी को या उसके एडवोकेट को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा हुई सुनवाई के पश्चात कोई और दस्तावेज प्रस्तुत करना हो तो वह उसे सुनवाई के बाद 3 दिन के भीतर Appellate Authority या Adjudicating Authority को मेल द्वारा भेज सकता है।

यदि डिपार्टमेंट की तरफ से भी कोई Representative इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा की गई सुनवाई में शामिल होना चाहता है तो उसे भी Appellate Authority या Adjudicating Authority को पहले से ईमेल द्वारा सूचित किया जाना चाहिए जैसा कि पैरा नंबर दो में बताया गया है।

इस Instruction को Personal Hearing के लिए लागू किया गया है यदि इसके क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की दिक्कत आए तो उसे तुरंत बोर्ड को सूचित किया जाना चाहिए।

बोर्ड द्वारा उठाया गया यह कदम सराहनीय है। बोर्ड द्वारा issue की गयी इस instruction से cusotms की सुनवाई में विलम्ब नहीं होगा और appellant को जल्द से जल्द न्याय मिल पायेगा।

इस तरह के नियम GST के लिए भी लागू किया जाना चाहिए। इसके विपरीत हमने एक केस में देखा है कि एक taxpayer की revocation की application मैं personal hearing दी गई परंतु lockdown के कारण taxpayer उपस्थित नहीं हो सका परंतु उसने सभी रिटर्न समय पर भर दिए थे। संबंधित अधिकारी भी

revocation application को allow करना चाहता था परंतु पोर्टल उसे इस तरह की इजाजत नहीं दे रहा था। personal hearing मैं नहीं आने पर पोर्टल उस application को reject करने का option ही दे रहा था। ऐसे समय में virtual personal hearing कैसे की जा सकती है? सबसे पहले इसके लिए पोर्टल को तैयार करना होगा

Stay Safe & Stay Away to Stay Together !!

The content of this document is solely for informational purpose.

You can reach us at www.capradeepjain.com, at our facebook page on https://www.facebook.com/GSTTODAYBYPRADEEPJAIN/ as well as follow us on twitter at https://www.twitter.com/@capradeepjain21